ELECTION URGENT

ELECTION URGENT

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला ग्वालियर (म.प्र.)

(स्थानीय निर्वाचन)

☎ दूरभाष नम्बर 0751&2446220, E-mail-deogwaliorle@gmail.com

क्रमांक/स्था.निर्वा./11-24/100 /2021/..01 ग्वालियर, दिनांक :06/12/2021

प्रति,

कार्यालय प्रमुख ....,
....
....
(न्यायपालिका को छोड़कर)

विषय :- **त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान शासकीय सेवकों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध ।**

सन्दर्भ :- **म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल का पत्र क्रमांक 682 दिनांक 04/12/2021**

***

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के सन्दर्भित पत्र दिनांक 04/12/2021 द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2021-22 का मतदान दिनांक 06/01/2022 को सम्पन्न कराने के लिए मतदान दलों का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य कार्यों को समय-सीमा में सम्पन्न किये जाने के लिये अधिकाधिक शासकीय सेवकों को नियुक्त किया जाना है। अतएव् निर्वाचन के उपरोक्त सभी कार्यो को सम्पादित कराने लिए शासकीय सेवकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आयोग के निर्देशों के पालन में निर्देशित किया जाता है, कि ***निर्वाचन कार्य समाप्ति तक अपने अधीनस्थ किसी भी शासकीय सेवक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे और ना ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदाय की जावे।*** अपरिहार्य कारणों से यदि किसी शासकीय सेवक का अवकाश पर जाना आवश्यक है, तो ऐसे शासकीय सेवक (अधिकारी/कर्मचारी) अपने लिखित आवेदन कार्यालय प्रमुख के मतांकन सहित श्री एच.बी. शर्मा, अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर सह नोडल अधिकारी मतदान दल गठन के समक्ष प्रस्तुत करें, और उनसे अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर जावें।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व से स्वीकृत अवकाश पर भी जाने की अनुमति इस से अनापत्ति के बिना नहीं दी जावे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित हो।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.)
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

पृष्ठांकन: क्रमांक/स्था.निर्वा./11-24/100/2021/....02 **ग्वालियर, दिनांक 06 /12/2021**

प्रतिलिपि :-

1/ सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2/ आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3/ श्री एच.बी. शर्मा, अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर ।
4/ अपर संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, मोतीमहल ग्वालियर।
5/ जिला सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला ग्वालियर की ओर जिले की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6/ कार्यालयीन प्रति।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.)
जिला ग्वालियर (म.प्र.)